राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1761/2013

मुकेश बाबू मालव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोट।
7. ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, पंचायत समिति, ईटावा, जिला कोटा।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याल, ईटावा, जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.09.2013 (अनुलग्नक–10) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पूर्व में दी गयी पदोन्नति निरस्त की गयी है एवं अपीलार्थी का नाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा में वरीयता सूची से विलोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को राज्य मृतक कर्मचारी के आश्रितों के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के निर्णय के फलस्वरूप जिला परिषद कोटा द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2003 के द्वारा पदस्थापन हेतु स्थानीय कार्यालय को निवर्तन पर सौंपे जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कोटा द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2003 को कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ईटावा, कोटा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। अपीलार्थी को आदेश दिनाक 14.03.2007 (अनुलग्नक–4) के द्वारा दिनांक 01.04.1985 से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा द्वारा स्थायी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कोटा ने दिनांक 30.05.2012 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थायी वरीयता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 64 पर रखा गया। इसके पश्चात जिला शिक्षा

अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कोटा द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.04.2012 से प्रदान किया गया। अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा द्वारा आदेश दिनांक 29.07.2013 के द्वारा सत्र 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्य ग्रहण किया। बाद में आदेश दिनांक 30.09.2013 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा द्वारा यह माना गया कि अपीलार्थी पंचायती राज विभाग का कार्मिक है और अपीलार्थी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरीयता सूची से नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया। साथ ही अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर दी गयी पदोन्नति भी निरस्त की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 30.10.2012 को यह निर्देश दिये गये हैं कि वर्ष 2002 से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के सृजन के बाद तीन साल से अधिक अवधि तक कार्मिकों द्वारा वापिस जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कार्यालयों में पदस्थापन हेतु कोई आवेदन/सूचित नहीं करने पर उनका लियन निरन्तर नहीं रहा है। अतः राज०सेवा नियम के नियम 15 से 20 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला परिषद स्तर पर न होकर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होगा।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जिला परिषद द्वारा नियुक्ति दिये जाने पर जिन कार्मिकों को पदस्थापन हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में भेजा गया था, उन कार्मिकों की वरिष्ठता निरन्तर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के स्तर पर ही थी। ऐसे में अपीलार्थी को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जो वरिष्ठता एवं पदोन्नति प्रदान की गयी है, वह उचित थी, उसे निरस्त किया जाना गलत है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के पदस्थापन करने का निर्णय जिला परिषद्, कोटा (पंचायत राज) द्वारा लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कोटा को पदस्थापन हेतु पंचायत राज के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु निर्वतन पर दिया गया था। जिसकी पुष्ठि में जिला स्थापना समिति, जिला परिषद् कोटा की बैठक दिनांक 22–2–2003 की कार्यवाही का पृष्ठांकन दिनांक 11–3–2003 को पृष्ठांकित किया गया है। अतः अपीलार्थी मूलतः पंचायत राज विभाग का कार्मिक है, इसकी पुष्टि पदस्थापन के बाद संशोधित पदस्थापन आदेश दिनांक

25–3–2023 एवं कार्यालय जिला परिषद् कोटा के आदेश दिनांक 30–6–2007 से जिला परिषद् / पंचायत समिति / ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत पंचायत राज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम सं. 17 पर अंकित होने से पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अपीलार्थी की नियुक्ति जिला परिषद् कोटा द्वारा देकर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कोटा को पंचायत समिति के अधीन रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु निर्वतन पर दिया गया था। अपीलार्थी का स्थायीकरण जिला परिषद् कोटा द्वारा किया जाना था किन्तु वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति इटावा जिला कोटा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. कोटा ने स्थायीकरण आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2007 से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा को अग्रेषित किया, जो तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी लिपिक द्वारा अनभिज्ञता के कारण सामान्य प्रक्रिया के तहत स्थायीकरण जारी कर दिया गया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. कोटा के कार्यक्षेत्र में पंचायत राज कर्मचारियों को स्थायी किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी मूलतः पंचायत राज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिला परिषद् कोटा द्वारा प्रकाशित च.श्रे.क. की वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 17 पर नाम अंकित है, अपीलार्थी को यह जानकारी होते हुए भी कि वह पंचायत राज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इस तथ्य को छुपाकर अपीलार्थी दोहरी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त कर रहा था, जो दोषपूर्ण स्थिति है।

4. अपीलार्थी की ओर से रिजोइण्डर प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में अपीलार्थी को संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है एवं अपीलार्थी ने वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। इसके पश्चात अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु वर्ष 2023–24 की कोटा मण्डल की बनाई गई अस्थायी पात्रता सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को शिक्षा विभाग का कार्मिक होना मानते हुए पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ऐसे में पूर्व का आदेश दिनांक 30.09.2013 अपास्त किये जाने योग्य है।
5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
6. प्रकरण के तथ्य एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति होने के पश्चात अपीलार्थी ने शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया था

एवं अपीलार्थी का प्रथम पदस्थापन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक कोटा द्वारा किया गया। हमारे सामने यह प्रकट हुआ है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 30.10.2012 को निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है :–

> ''उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों से आप द्वारा पंचायत समितियों में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 2202 शिक्षा मद में कार्यरत कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) जिनकी नियुक्ति जिला स्थापना समिति द्वारा चयन कर नियुक्त किया गया है, उन कार्मिकों की जिला परिषद द्वारा तैयार की जा रही वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जावे अथवा नहीं, मार्गदर्शन चाहा गया है।
>
> इस सबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्मिको का बजट आवंटन इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है एवं न ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है। वर्ष 2002 से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के सृजन के बाद तीन साल से अधिक अवधि तक कार्मिकों द्वारा वापिस जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कार्यालयों में पदस्थापन हेतु कोई आवेदन/सूचित नहीं करने पर उनका लियन निरन्तर नहीं रहा है।
>
> अतः राज०सेवा नियम के नियम 15 से 20 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला परिषद स्तर पर न होकर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होगा।''

7. अतः पंचायतीराज विभाग के पत्र दिनांक 30.10.2012 (अनुलग्नक–12) के अनुसार ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के स्तर पर किये जाने के आदेश हैं। अपीलार्थी के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कोटा ने स्थायीकरण का आदेश जारी किया था, जिसके पश्चात अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वरीयता सूची में रखा गया और अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गयी। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग अपीलार्थी को अपना कर्मचारी मानता रहा है और उसे वरिष्ठता और पदोन्नति प्रदान की गई है। आलोच्य आदेश पारित होने के पश्चात भी अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई है। ऐसे में प्रकट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 30.10.2012 की पालना में अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं पदोन्नति प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्तर पर ही प्रदान की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के सृजन के पश्चात् जारी अधिसूचना दिनांक 28.11.1997 के द्वारा माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के मध्य किये गये कार्य विभाजन के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग का सम्पूर्ण नियंत्रण

माध्यमिक शिक्षा विभाग को ही दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के संबंध में प्रशासनिक विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग ही माना जायेगा।

8. आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की वरियता समाप्त की गई है और अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदावनत किया गया है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता सूची में किसी कर्मचारी का नाम स्थाईकरण के पश्चात् ही शामिल किया जाता है तथा स्थाईकरण के साथ ही कर्मचारी का पदाधिकार सृजित होता है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 37 में वरिष्ठता निर्धारण का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 93 में वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया बताई गई है जो इस प्रकार हैः–

9.3 किसी भी पद/संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करने के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन आवश्यक हैः–

9.3.1 पद/संवर्ग की अन्तरिम (Provisional) वरिष्ठता सूची जहां आवश्यक हो, प्रसारित की जाए।

9.3.2 अन्तरिम वरिष्ठता सूची सभी प्रभावित एवं हितबद्ध राजसेवकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे ताकि वे अन्तरिम वरिष्ठता सूची के बारे में पक्ष/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

9.3.3 अन्तरिम/अन्तिम वरिष्ठता सूची में स्पष्टतः अंकित किया जावे कि वह किस दिवस की स्थिति में प्रसारित/निर्धारित की जा रही है।

9.3.4 अन्तरिम वरिष्ठता सूची में निम्न का अंकन किया जाएः–

(अ) जिन सिद्धान्तों के आधार पर वरिष्ठता परिवर्तन/ संशोधित/प्रसारित की जा रही है।

(ब) राजसेवकों की वरिष्ठता में परिवर्तित (Revised) स्थिति उत्पन्न होने का स्पष्ट आधार।

9.3.5 यदि सेवा नियमों में एक अथवा अधिक प्रकार की पद्धति से भर्ती होती है तो इस प्रकार की स्थिति में राजसेवकों की वरिष्ठता (combined or interlaced seniority) सुसंगत नियमों के प्रावधान/सिद्धान्तों के साथ–साथ प्रभावित व हितबद्ध राजसेवकों की वरिष्ठता की स्थिति दर्शाते हुये अन्तरिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की जाए।

9.3.6 अन्तरमि वरिष्ठता सूची के संदर्भ में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का प्राकृतिक न्याय एवं "Audi Alteram Partem" (Hear the other side) के सिद्धान्तों के आधार पर निस्तारित कर अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की जाए।

9.3.7 वरिष्ठता सूची में बन्द लिफाफे से सम्बन्धित राजसेवकों के सन्दर्भ में इस तथ्य का अंकन किया जाये। यह भी उल्लेखित किया जाए कि अनुशासनिक कार्यवाही जिसके कारण सिफारिश बन्द लिफाफे में है, के निस्तारण के बाद वरिष्ठता में परिवर्तन हो सकता है।

9.3.8 वरिष्ठता सूची में यदि न्यायालय के इस सम्बन्ध में कोई आदेश हैं अथवा वाद लम्बित हैं तो उनका उल्लेख किया जाए।''

9. उक्त प्रावधानानुसार स्पष्ट है कि किसी भी कार्मिक का वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित करने अथवा वरिष्ठता सूची में परिवर्तन करने से पूर्व प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की जाकर अथवा किसी न्यायिक आदेश की अनुपालना में यदि कोई संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो तो, ऐसे संशोधन करने से पूर्व संबंधित प्रभावी पक्षकारों के लिए सूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जा सकता है। जबकि वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2013 पारित किये जाने से पूर्व किसी तरह से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कर अपीलार्थी को पदावनत किया जाना सुनवाई का अवसर दिये जाने के सुस्थापित विधि के सिद्धान्त के विपरीत है।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2013 (अनुलग्नक–10) अपास्त किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)